संख्या–884 / 33–3–2013–73 / 2012

प्रेषक,

माजिद अली
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2013

विषयः–**भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने के हेतु योजना के स्वरूप के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किया जायेगा। सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के स्वरूप को निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

2 **(1)** योजनान्तर्गत वे लोग लाभार्थी के श्रेणी में चिन्हित होंगे,जो ग्राम्य विकास विभाग के बी0पी0एल0 सूची / खाद्य एवं रसद विभाग के बी0पी0एल0राशन कार्ड धारक एवं अन्त्योदय कार्ड धारक / रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना की सूची में सम्मिलित हैं।

(2) उपरोक्त श्रेणी की वे महिलायें इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी होंगी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होंगी। इसी प्रकार उपरोक्त श्रेणी के वे वृद्धजन (पुरूष तथा महिला) लाभार्थी की श्रेणी में होंगे, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है।

(3) इस योजना में लाभान्वित होने वाली महिलाओं को उपयोगिता,मजबूती एवं टिकाऊपन के दृष्टिगत ''पॉलिस्टर साड़ी ''तथा वृद्धजनों को ''शोडी कम्बल'' वितरित किया जायेगा।

(4) आपूर्ति एवं वितरित की जाने वाली साड़ी की **''विशिष्टियॉ''** एवं **''मूल्य की सीमा''** निम्नवत होगी :–

विशिष्टियॉ

फैब्रिक टाइप	पालिस्टर डायड और आधार रंग के अलावा दो अन्य रंगों में प्रिंन्ट किया हुआ। रंग आच्छादित एरिया 25 प्रतिशत
टाइप आफ फाइवर	100 प्रतिशत टेक्सचराइज्ड पालिस्टर
लम्बाई	5.50 मीटर
चौड़ाई	1.10 मीटर
वजन	55 जी0एस0एम0
काउन्ट आफ रैप	80–90 डेनियर

काउन्ट आफ वेफ्ट	80–90 डेनियर
इन्ड्स / इंच	72
पिक्स / इंच	60
बुनाई	सादी बुनाई
बार्डर / पल्लू	दो इंच का बार्डर दोनों तरफ प्रिन्टेड ऑचल / पल्लू के साथ

मूल्य की सीमाः–

रंगो की संख्या	आधार के अतिरिक्त कम से कम तीन
वजन प्रति इकाई	333 ग्राम
वेस्टेज 5प्रतिशत	17 ग्राम
आवश्यक धागा	350 ग्राम
धागे का मूल्य 150 रूपया प्रति किलो0	रू0 52.50
प्रिपरेटरी चार्जेज	रू0 25.00
विबिंग चार्जेज	रू0 50.00
छपाई	रू0 50.00
पैकिंग / फारवर्डिंग	रू0 5.00
योग	रू0 182.50
ओ0एच0चार्जेज 5 प्रतिशत	रू0 9.00
योग	रू0 191.50
उत्पादक का लाभ 10प्रतिशत	रू0 19.15
योग	रू0 210.65
साड़ी का मूल्य	रू0 211.00
इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी का प्रशासनिक व्यय एवं विशिष्टियों को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण चार्ज 1.5 प्रतिशत	रू0 3.00
सम्पूर्ण योग	रू0 214.00

(5) आपूर्ति एवं वितरित किये जाने वाले कम्बल की **"विशिष्टियॉ"** एवं **"मूल्य की सीमा"** निम्नवत होगी :–

विशिष्टियॉ

फैब्रिक टाइप	ऊलेन कम्बल
टाइप आफ फाइवर	होजरी पुल्ड शोडीयार्न विथ ऊल कन्टेन्ट 55 प्रतिशत (± 5 प्रतिशत)

ऊल क्वालिटी	विलो 30 माइक्रान
लम्बाई	2.30 मीटर (+ 2 प्रतिशत)
चौडाई	1.50 मीटर (+ 2 प्रतिशत)
वेट पर पीस	2.10 केजी0 (+ 5 प्रतिशत)
काउन्ट आफ रैप	2एन0एम0
काउन्ट आफ वेफ्ट	2एन0एम0
इन्ड्स/इंच	17—18 (+ 2 प्रतिशत)
पिक्स/इंच	13—14 (+ 2 प्रतिशत)
वीभ	ट्वील वीभ

मूल्य की सीमा:—

कम्बल का प्रकार	शोडी ब्लैन्केट
ऊल कन्टेन्ट	55 प्रतिशत (+5प्रतिशत)
वेट पर पीस	2.10 केजी0 (+5प्रतिशत)
यार्न निडेड	3.0 केजी0
यार्न का मूल्य रू0 90.00 पर के0जी0	रू0 270.00
प्रिपरेटरी चार्जेज	रू0 25.00
विबिग चार्जेज	रू0 50.00
मिलिंग/रेजिंग	रू0 15.00
फ्लेंजेज/पैकिंग/फारवर्डिंग	रू0 15.00
योग	रू0 375.00
मैन्युफैक्चरिंग प्राफिट 10 प्रतिशत	रू0 38.00
योग	रू0 413.00
कम्बल का मूल्य	रू0 413.00
इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी का प्रशासनिक व्यय एवं विशिष्टियों को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण चार्ज 1.5 प्रतिशत	रू0 6.00
सम्पूर्ण योग	रू0 419.00

3— योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली साड़ी एवं कम्बल का क्रय जनपद में जिलास्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जायेगा। जिलास्तरीय क्रय समिति का गठन निम्नवत होगा :—

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य

3	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अपर जिलाधिकारी	सदस्य
4	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
5	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
6	जिलापूर्ति अधिकारी	सदस्य
7	यूपिका / हैंण्डलूम के तकनीकी विशेषज्ञ	तकनीकी सदस्य

वितरित की जाने वाली साड़ी / कम्बल के चार–चार सैम्पल जिला क्रय समिति अपने पास सुरक्षित रखेगी।

4– **साड़ी का क्रय / आपूर्तिः–** योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं को वितरित की जाने वाली साड़ी की सम्पूर्ण मात्रा के 60 प्रतिशत अंश का क्रय यूपिका एवं यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन के माध्यम से बुनकरों की समितियों / क्लस्टर से किया जायेगा तथा अवशेष 40 प्रतिशत अंश का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एन0टी0सी0तथा प्रदेश सरकार की सरकारी संस्थायें यूपिका एवं यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन से किया जायेगा।

5– **कम्बल का क्रय / आपूर्तिः–**योजना के अन्तर्गत पात्र वृद्धजनों (पुरूष / महिला) को वितरित किये जाने वाले कम्बल की सम्पूर्ण मात्रा का 50 प्रतिशत अंश का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एन0टी0सी0 एवं अवशेष कम्बल का क्रय उ0प्र0 की सरकारी संस्थायें यूपिका / यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन तथा गांधी आश्रम से किया जायेगा।

उक्त संस्थायें साड़ी एवं कम्बल के बाजार मूल्य का आकलन कर लेगी तथा उक्त बाजार मूल्य या प्रस्तावित बाजार मूल्य में से जो भी धनराशि कम होगी, उसके अनुसार क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

6– **साड़ी एवं कम्बल का वितरणः–** योजनान्तर्गत लाभार्थियों को साड़ी तथा कम्बल का वितरण विकास खण्ड स्तर पर संबंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की उपस्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यथासंभव एक दिवस को समारोह के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें जन प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। यदि एक तिथि / दिवस में वितरण संभव न हो, तो दो या तीन दिवसों में वितरण कराया जा सकता है। जो लाभार्थी विकास खण्ड मुख्यालय पर आने में असमर्थ रहते हैं,उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम प्रधान के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की जायेगी। वितरण के समय जिलाधिकारी द्वारा नामित एक जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहेगा।

वितरण सूची एवं प्राप्ति रसीद के निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थी के हस्ताक्षर सहित संबंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के भी हस्ताक्षर होंगे।

7– **आपूर्तिकर्ता संस्थाओं हेतु आवंटित क्षेत्र / मण्डल :–**
योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं को वितरित की जाने वाली साड़ी की सम्पूर्ण मात्रा के 60 प्रतिशत अंश का क्रय यूपिका एवं यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन के माध्यम से बुनकरों की समितियों / क्लस्टर से किया जाना है तथा अवशेष 40 प्रतिशत अंश का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एन0टी0सी0तथा प्रदेश सरकार की सरकारी संस्थायें यूपिका एवं यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन से किया जाना है। अस्तु उक्तानुसार साड़ी के क्रय एवं आपूर्ति हेतु जनपदों में लाभार्थियों की जनसंख्या के आधार पर उक्त संस्थाओं को निम्नानुसार क्षेत्र / मण्डल आवंटित किया जाता है :–

(1) साड़ी के 60 प्रतिशत अंश का कय/आपूर्ति :–

क– उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ (यूपिका) :– आजमगढ़,बस्ती, फैजाबाद एवं इलाहाबाद मण्डल के जनपद।

ख– उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, कानपुर :– वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन एवं चित्रकूट मण्डल के जनपद।

(2) साड़ी के 40 प्रतिशत अंश का कय/आपूर्ति :–

क– नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि0, नई दिल्ली,:– लखनऊ,कानपुर एवं मेरठ मण्डल के जनपद।

ख– उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ (यूपिका):– आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं झांसी मण्डल के जनपद।

ग– उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, कानपुर :–,बरेली,अलीगढ़, मिर्जापुर मण्डल के जनपद।

कम्बल की सम्पूर्ण मात्रा का 50 प्रतिशत आपूर्ति भारत सरकार के उपक्रम एनटीसी एवं अवशेष कम्बल की आपूर्ति उत्तर प्रदेश की सरकारी संस्था एवं गांधी आश्रम से किया जाना है। अतः कम्बल की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता संस्था हेतु निम्नलिखित मण्डल आवंटित किया जाता है:–

क– नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि0, नई दिल्ली:– लखनऊ,कानपुर, आगरा,अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, देवी पाटन एवं मेरठ मण्डल के जनपद।

ख– उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ(यूपिका) :– गोरखपुर मण्डल के जनपद।

ग– उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, कानपुर :– आजमगढ़ एवं बस्ती मण्डल के जनपद।

घ– गांधी आश्रम :– झांसी, चित्रकूट,मिर्जापुर एवं फैजाबाद मण्डल के जनपद। यदि गांधी आश्रम अपने जनपदों में कम्बल की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उसकी पूर्ति कम्बल की आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्थाओं से उनके अनुपात में करायी जायेगी।

8– योजनान्तर्गत जनपदों में साड़ी/कम्बल की आपूर्ति, जिलाधिकारी द्वारा कराये गये सवेक्षण के उपरान्त बी0पी0एल0 परिवार की पात्र महिलाओं एवं वृद्धजनों की संख्या के आधार पर आवंटित धनराशि की सीमा में ही किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा आपूर्ति की जाने वाली साड़ी/कम्बल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं कार्य योजना को पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत एक दिशा–निर्देश भी अलग से जारी किया जा रहा है, जिसमें अन्य निर्देशों के साथ–साथ प्री–डिस्पैच व पोस्ट डिस्पैच परीक्षण की व्यवस्था की गयी है, जो निम्न प्रकार है :–

क– प्री–डिस्पैच परीक्षण :– आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा आपूर्ति की जाने वाली साड़ी/कम्बल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, (यूपिका) एवं उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के विशेषज्ञों की एक प्री–डिस्पैच परीक्षण दल का गठन निदेशक, पंचायती राज/नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। परीक्षण दल के लिए प्री–डिस्पैच के परीक्षण का प्रारूप ''प्रपत्र–ए'' पर संलग्न है। परीक्षण दल साड़ी एवं कम्बल के

सैम्पल ड्रा करके निम्नलिखित स्थानों पर स्थित शासकीय प्रयोगशालाओं में लैब टेस्टिंग के लिए भेजेंगे :–

साड़ियों हेतु –

1– वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला,केन्द्रीय रेशम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, वाराणसी।

2– नार्दन इण्डिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसियेशन (निट्रा) राजनगर गाजियाबाद।

3– सस्मीरा, मुम्बई ।

4– मन्त्रा, सूरत ।

5– अटीरा, अहमदाबाद।

6– विट्रा, मुम्बई।

कम्बल के लिए:–

1– ऊल रिसर्च एसोसियेशन, थाणे महाराष्ट्र।

2– टेक्सटाइल कमेटी लैब, कानपुर ।

3– टेक्सटाइल कमेटी लैब, लुधियाना ।

प्री–डिस्पैच परीक्षण एवं लैब टेस्टिंग में होने वाला व्यय आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

ख–पोस्ट–डिस्पैच परीक्षण :– आपूर्ति की गयी साड़ी/कम्बल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा एक पोस्ट डिस्पैच परीक्षण दल का गठन किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी के साथ–साथ उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0 (यूपिका) अथवा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के एक तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। पोस्ट डिस्पैच परीक्षण दल द्वारा गुणवत्ता का रैण्डम चेकिंग किया जायेगा। रैण्डम चेकिंग का प्रारूप ''प्रपत्र–बी'' पर संलग्न है। पोस्ट डिस्पैच परीक्षण आदि का व्यय साड़ी एवं कम्बल के मूल्य में शामिल इम्पलीमेंटिंग एजेन्सी के प्रशासनिक व्यय एवं विशिष्टियों को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण चार्ज हेतु अनुमन्य 1.5 प्रतिशत की धनराशि से वहन किया जायेगा।

10– आपूर्ति की गयी साड़ी/कम्बल के मूल्य का भुगतान :– साड़ी एवं कम्बल की आपूर्ति विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित हो जाने के 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्था को निश्चित रूप से भुगतान कर दिया जायेगा। बुनकरों के संबंध में आपूर्तिकर्ता सरकारी संस्था, जिलाधिकारी से भुगतान पाने के 15 दिन के अंदर उन्हें भुगतान सुनिश्चित करेंगे। साड़ी एवं कम्बल के मूल्य के भुगतान के संबंध में उक्त निर्धारित समयावधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– निदेशक, पंचायती राज को इस योजना के सतत अनुश्रवण, पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करायेंगे कि जनपदों में साड़ी/कम्बल की आपूर्ति/वितरण एवं उसका भुगतान यथासमय सुनिश्चित होता रहे। इसके लिए पंचायती राज निदेशालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा, जिसके दूरभाष/फैक्स आदि की सूचना संबंधितों को दी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के आर्थिक उन्नयन/सुधार के लिए बी0पी0एल0परिवार की पात्र महिलाओं को वितरित की जाने वाली साड़ी की सम्पूर्ण मात्रा के 60 प्रतिशत अंश का क्रय यूपिका एवं यू0पी0 हैण्डलूम

कार्पोरेशन के माध्यम से बुनकरो की समितियों /क्लस्टरर्स से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः जनहित में समानता के दृष्टिगत साड़ी/कम्बल का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एन0टी0सी0 एवं प्रदेश सरकार की सरकारी संस्थायें यूपिका, यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन तथा गांधी आश्रम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की पात्र महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिये जाने पर ही लागू होगी।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, उद्योग, कानपुर।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य हथकरघा निगम, कानपुर।
10- डी0जी0एम0(मार्केटिंग), नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लि0, कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली।
11- सचिव, श्री गांधी आश्रम, खादी भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0सिंह)
अनु सचिव।

प्रपत्र - A

प्रपत्र-'A'

आपूर्तिकर्ता के गोदाम स्तर पर निरीक्षण दल का प्रपत्र

जनपद का नाम :-

लाट नम्बर :- आपूर्तिकर्ता का नाम/कोड नं0

निरीक्षण दिनांक :-

क्रम सं0	गांठ संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	वजन	इण्डस प्रति इंच	पिक्स प्रति इंच	बार्डर की चौड़ाई एवं पल्लू	रंगों की संख्या	अन्य
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

प्रपत्र-B

प्रपत्र–'B'

जनपद स्तर पर निरीक्षण दल का प्रपत्र

जनपद का नाम :–

लाट नम्बर :–

आपूर्तिकर्ता का नाम/कोड नं0

निरीक्षण दिनांक :–

क्रम सं0	गांठ संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	वजन	इण्डस प्रति इंच	पिक्स प्रति इंच	बार्डर की चौड़ाई एवं पल्लू	रंगो की संख्या	अन्य
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									